# नागरिकता संशोधन कानून-2019
# तथ्य एवं वास्तविकता

*प्रकाशक :*
**विमर्श प्रकाशन**
द्वितीय मंजिल, 41 एमएम रोड्, रानी झांसी मार्ग,
झण्डेवाला, नई दिल्ली-110055
दूरभाष : 011-23536244, 23536245
ई-मेल : vimarashprakashan@gmail.com

© **प्रकाशक**

*संकलन :*
आशुतोष भटनागर
देवेश खण्डेलवाल

*प्रथम संस्करण :*
जनवरी, 2020

**मूल्य : ₹ 25**

*मुद्रक* : एम.के.प्रिंटर्स, दिल्ली-7
mk1857@gmail.com

**ISBN :** 978-81-935032-7-0

# विषय-सूची


1. प्रस्तावना 5

2. पृष्ठभूमि 13

3. नागरिकता (संशोधन) कानून-2019 18

4. गृह मंत्री, अमित शाह द्वारा स्पष्टीकरण एवं आश्वासन 21

5. पाकिस्तान से विस्थापित हिन्दुओं के लिए पूर्ववर्ती व्यवस्था 27

6. 'इस्लामिक' देश-तानाशाही, बहुलतावाद और आतंकवाद 29

7. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संज्ञान 32

8. साल 2016 में संशोधन के प्रयास 34

9. साल 2004-2014 के बीच पाकिस्तान में हिन्दुओं पर अत्याचार 39

10. विभाजन और राहत-पुनर्वास कार्य (1947) 41

11. भारत की संविधान सभा 47

12. नागरिकता संशोधन कानून, NRC और NPR 51

# प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस सत्ता की स्वाभाविक उत्तराधिकारी थी। देश का विश्वास उसे हासिल था और इसी के बल पर वह देश के भविष्य से जुड़े तमाम फैसले ले रही थी। द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार कर उसके आधार पर भारत के बंटवारे का फैसला भी इसमें शामिल था। उसने यह जानने की भी कोशिश नहीं कि देश इससे सहमत है अथवा नहीं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की सहमति लेना भी जरूरी नहीं समझा।

तत्कालीन नेतृत्व की मन:स्थिति का विश्लेषण यदि करें तो पायेंगे कि स्वतंत्रता की संभावना से अभिभूत अधिकांश कांग्रेस नेता पाकिस्तान के निर्माण को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। वे यह मान रहे थे कि भावनाओं का यह उफान जल्द ही थम जायेगा और स्थिति सामान्य हो जायेगी। वे यह भी मानते थे कि पाकिस्तान की मांग करने वाले नेता 'मूर्खों के स्वर्ग' में जी रहे हैं। विभाजन स्वीकार करने के बाद भी यह नेता मानते थे कि पाकिस्तान लम्बे समय तक जी नहीं सकेगा और अंतत: पूरा भारत एक हो जायेगा। राममनोहर लोहिया जैसे दिग्गज समाजवादी नेता तो अंत तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साझा व्यवस्था में लाने की वकालत करते रहे। समय ने साबित किया कि भ्रम में जिन्ना नहीं, भारतीय नेतृत्व था। पाकिस्तान एक कड़वी सच्चाई के रूप में हमारे सामने है जिसने अपना समूचा ताना-बाना भारत विरोध की धुरी के इर्द-गिर्द बुना है।

विभाजन की विभीषिका हिंसा और रक्तपात को ले कर आयी।

लाखों लोगों को हिंसा और विस्थापन का सामना करना पड़ा। इससे भी बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो विभिन्न कारणों से विस्थापित नहीं हुए। इसमें एक ओर जिन्ना का वादा था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और समानता का विश्वास दिलाया था तो दूसरी ओर इन लोगों ने अपने पड़ोसियों के साथ पीढ़ियों पुराने रिश्ते पर भरोसा किया और खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। दोनों ही स्थितियों में उन्हें घोर निराशा हाथ लगी। जल्द ही उनकी आस्थाओं पर हमले होने लगे और उनके अस्तित्व को ही समाप्त करने की कोशिशें शुरू हो गयीं।

कांग्रेस में पटेल जैसे यथार्थवादी नेता जहां पहले से ही इसकी आशंका व्यक्त कर रहे थे वहीं महात्मा गाँधी भी सशंकित थे। पं. नेहरू और उनके सहयोगियों ने भी वस्तुस्थिति का आकलन कर समाधान की ओर कदम बढ़ाया और नेहरू-लियाकत समझौता सामने आया जिसमें दोनों देशों ने अपने यहां रह रहे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की बात कही। भारत ने इस समझौते का एक तरफा पालन किया। देश में फलता-फूलता मुस्लिम समुदाय इसका गवाह है। दूसरी ओर पाकिस्तान में समूचा सत्ता प्रतिष्ठान ही अल्पसंख्यक विरोध पर उतर आया जिसका नतीजा है कि पाकिस्तान में आज 1947 की तुलना में हिन्दुओं की संख्या 10 प्रतिशत भी नहीं बची। शेष 90 प्रतिशत हिन्दू या तो बलात् मतान्तरित कर लिये गये, मार दिये गये अथवा पलायन करने के लिए विवश हुए। यही स्थिति ईसाई, सिख और बौद्ध समुदायों की भी हुई। बांग्लादेश के निर्माण के बाद यह उम्मीद जगी थी कि कम-से-कम वहाँ पर हिन्दुओं पर होने वाले दमन पर लगाम लगेगी लेकिन जल्दी ही उसने भी अपने-आप को इस्लामिक देश घोषित कर दिया और एक बार फिर दमन चक्र चालू हो गया।

आंकड़ों की बात करें तो विभाजन के समय पाकिस्तान में हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय वहां की तत्कालीन कुल आबादी का 23 प्रतिशत थे, जो 72 वर्ष पश्चात् घटकर 1.5-2 प्रतिशत रह गए हैं। वर्ष

2002 में पाकिस्तान में 40,000 से घटकर सिखों की संख्या 8000 से नीचे पहुंच गयी है। इसी तरह बंग्लादेश (1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान) में हिन्दू और बौद्ध अनुयायियों की संख्या 1947 में वहां की कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत थी, जो आज 8 प्रतिशत से भी कम है। इसी प्रकार अफगानिस्तान में 1970 के दशक में अफगान हिन्दुओं और सिखों की संख्या लगभग 7 लाख थी, जो 1990 में गृहयुद्ध के बाद निरंतर घटती हुई आज केवल 3000 तक सीमित है।

इन देशों में 'काफिर' अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण उनकी धार्मिक आस्था है। मजहबी उत्पीडन के चलते जब उनके लिये इन देशों में जीना असंभव हो गया तो या तो उन्हें मतान्तरण के लिये बाध्य होना पड़ा अथवा वे बचने के लिए अन्य देशों में पलायन के लिए मजबूर हुए। भारत ऐसे लोगों का स्वाभाविक गंतव्य था क्योंकि उनकी सांस्कृतिक जड़ें इस देश से जुड़ी थीं।

विभाजन के बाद बड़ी संख्या में हिन्दू शरणार्थी बन कर आये जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में बसाया गया। उस समय महात्मा गांधी ने कहा था, 'एक ही भारत के अब दो टुकड़े हुए हैं। भारत में आए हुए लोगों को नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है।' यही बात पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने भी कही। इसीलिए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने की नीति भारत ने सदा अपनाई है। वर्ष 2003 में वाजपेयी सरकार ने पहली बार इसे कानूनी रूप दिया और साफ किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी आएंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। आज आंदोलन करने वाले अनेक दल उस समय इस पहल का समर्थन कर रहे थे। वर्ष 2004 और 2005 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने संसद में इसी बिल को फिर से पारित करके उसकी समायावधि 1-1 साल के लिए दो बार बढ़ायी। उस समय उनके साथी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस और वे सभी दल थे जो आज इसके विरोध में बोल रहे हैं।

2003 का कानून केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं की बात करता है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में इसके दायरे को बढ़ाते हुए हिंदुओं के साथ सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी को भी जोड़ा गया है जिनकी धार्मिक प्रताड़ना इन देशों में होती आ रही है। ऐसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध पंथों के शरणार्थियों को नागरिकता देने की व्यवस्था इस कानून में है।

नागरिकता संशोधन कानून 2019 में न तो भारत में निवास कर रहे किसी भारतीय नागरिक को बाहर किये जाने की व्यवस्था है और न ही किसी के भारतीय नागरिकता ग्रहण करने पर कोई रोक लगायी गयी है। भारतीय नागरिक बनने के लिये निश्चित शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है जिन्हें पूरा कर कोई भी भारतीय नागरिक बन सकता है। नये कानून में इन प्रताड़ित समुदायों के प्रति सदाशयता दिखाते हुए उनके नागरिकता प्राप्त करने में केवल कुछ रियायतें दी गयीं हैं और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अभी तक ऐसे लोगों को नागरिकता पाने के लिये निरंतर 11 वर्षों तक भारत में निवास करने की शर्त थी जिसे इन प्रताड़ित लोगों के लिये घटा कर 5 वर्ष किया गया है। इसी प्रकार वैध प्रपत्रों की अनिवार्यता को भी शिथिल किया गया है क्योंकि जिन परिस्थितियों में यह लोग अपनी जान बचा कर किसी प्रकार भारत में प्रवेश करते हैं, उसमें अपने सारे दस्तावेज साथ ला सकना प्रायः असंभव ही होता है।

दस्तावेजों के अभाव में वे लोग भारत में प्रवेश करने के पश्चात भी अपनी पहचान को छिपा कर रहने के लिये बाध्य होते हैं। भ्रष्ट तंत्र उनका पूरा शोषण करता है। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता, नौकरी, निवास, यहाँ तक कि स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिये भी 11 वर्ष की प्रतीक्षा लंबा कालखण्ड है। कहा जा सकता है कि इन प्रताड़ित बन्धुओं के मानवीय सरोकारों को इस नये कानून द्वारा संबोधित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि नये कानून के बाद यह लोग भारत में आयेंगे, ऐसा नहीं है। इनमें से अधिकांश लोग पहले से ही

भारत में हैं किन्तु नागरिक अधिकारों के अभाव में पहचान छिपा कर रहने और नारकीय जीवन जीने के लिये विवश है। कुछ लोग तो दशकों से ऐसा ही जीवन जी रहे हैं जिन्हें केवल यह संतोष है कि वे तमाम सुविधाओं से वंचित रह कर भी अपनी आस्थाओं का पालन करते हुए अपने पुरखों की धरती पर जीवित है। ऐसे लोगों को नागरिक अधिकार सुनिश्चित करने तथा आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर नये कानून द्वारा दिया गया है। यह पिछले 72 वर्षों में इसके साथ किये गये अन्याय अथवा पापों का परिमार्जन है।

एक अच्छे उद्देश्य से लाये गये इस कानून का विरोध संसद के भीतर और बाहर, दोनों जगह किया गया। राजनैतिक दलों ने इसे ले कर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दी उसने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनैतिक रूप से अंध-मोदी विरोध को वे भारत विरोध के चरमबिन्दु तक ले जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में हुए प्रदर्शनों ने हिंसक रूप लिया। जान-माल और सरकारी सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ।

नागरिकता संशोधन बिल 2019 को लेकर भामक सूचनाएं फैलायी गयीं। तथ्यों से परे मुस्लिम समाज को आशंकित करने और डराने वाली सामग्री से सोशल मीडिया को पाट दिया गया। देश के चुनिंदा विश्वविद्यालय और मस्जिदें इन गतिविधियों का केन्द्र बनीं। छात्रों और युवाओं को भड़का कर उन्हें हिंसा के लिये प्रेरित किया गया। तमाम विपक्षी दल अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े नजर आये वहीं किसी ने भी हिंसा और अराजकता की निन्दा नहीं की।

युवा भावुक होता है, अपने अधिकारों के लिये लड़ने को तत्पर होता है, और जब वह भीड़ में होता तो शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। ऐसे समय में उसे भड़का कर अनर्थ और अराजकता की ओर धकेल देना सरल है। अवसरवादी राजनीति इन युवाओं को आगे रख कर अपने राजनैतिक हित साधने की कोशिश करती है। पिछले कुछ समय से हम

लगातार ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जिनमें युवाओं को भड़काने का काम राजनैतिक संरक्षण पाने वाले टुकड़े-टुकड़े गैंग की अगुआई में किया जा रहा है। आईएसआई जैसी बाहरी शक्तियाँ जहां समाज में साम्प्रदायिक जहर घोलने में लगातार सक्रिय हैं वहीं राजनैतिक बढ़त हासिल करने के लिये विभिन्न राजनेता और उनके दल इन गतिविधियों में लिप्त अराजक तत्वों को संरक्षण देते हैं। इस गठजोड़ को वैचारिक खाद-पानी देने का काम कथित वामपंथी बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाता है। जेएनयू, जामिया, एएमयू और जादवपुर विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान इनके केन्द्र बने हैं।

देश में आज जो वैचारिक विभ्रम फैला है उसकी जड़ में केवल अराजक गठजोड़ ही नहीं बल्कि इन बुद्धिजीवियों की यह समझ है कि 1947 में विभाजन के बाद जाते समय अंग्रेज जो टुकड़ों में बंटा भारत कांग्रेस नेतृत्व को सौंप कर गये वही अंतिम सत्य है। पं. नेहरू भी इसे 'नेशन इन मेकिंग' कहते थे। यह सभी मानते थे कि भारत एक कोरी स्लेट है जिस पर विकास की नयी इबारत लिखना उनकी जिम्मेदारी है और अंग्रेजों के राजनैतिक, वैचारिक उत्तराधिकारी होने के नाते उनका अधिकार भी। यहीं से समस्या का जन्म होता है।

सत्य यह है कि भारत कोई कोरी स्लेट नहीं बल्कि हजारों वर्षों के इतिहास को समेटे एक जीवंत सभ्यता है। यह अमेरिका की तरह कोई आइडिया नहीं जिसे लाखों मूल निवासियों की हत्या करके लागू किया गया और विभिन्न देशों के बीच हुए सामूहिक समझौते के चलते जो एक राष्ट्र बना है, अथवा पाकिस्तान की तरह का कोई देश भी नहीं जिसका जन्म किसी और देश की संसद में पारित किये गये अधिनियम से हुआ है। भारत युगों की सांस्कृतिक यात्रा से विकसित हुआ दुनियाँ का प्राचीनतम राष्ट्र है जिसके जीने का अपना तरीका है।

पाँच हजार वर्षों से अधिक के निरंतर इतिहास में एक राष्ट्र के रूप में भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाये रखने के लिये

लाखों बलिदान दिये गये हैं। गत 1200 वर्षों के निरंतर संघर्ष में देश के हर क्षेत्र ने अपना योगदान किया है। सर्वाधिक आक्रमण उत्तर पश्चिम सीमा की ओर से हुए हैं और इस सीमान्त पर रहने वाले लोगों ने भारत को बचाये रखने में जो योगदान किया है उसकी विश्व इतिहास में कोई तुलना नहीं है। उन्हीं रणबाँकुरों के वंशज वे हिन्दू सिख हैं जो आज पाकिस्तान में नारकीय जीवन जीने पर विवश हैं, और जिनके लिये नये नागरिकता संशोधन विधेयक में कुछ प्रक्रियागत जटिलताओं को सरल कर भारत ने अपने कर्तव्य का पालन किया है।

यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि पाकिस्तान में चार पीढ़ियों तक अपमान और पीड़ा सह कर भी भारत को अपनी भूमि मानने वाले इन निसहायों के पूर्वजों का भारत ऋणी है। विभाजन के परिणामस्वरूप वहां अभिशप्त जीवन जीने के लिये विवश किये गये इन लोगों ने पाकिस्तान का चुनाव नहीं किया था। विभाजन के पहले भी वे भारतीय थे और आज भी मन से भारतीय हैं। पाकिस्तान उन पर थोपा गया। लंदन से तीन महीने के लिये भारत आये रेडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज ने भारत के मानचित्र पर लाल पेंसिल से एक रेखा खींच कर हजारों वर्षों के सांस्कृतिक संबंधों की समाप्ति की घोषणा कर दी। सांस्कृतिक समझ के स्तर पर दिवालिया कथित प्रगतिशील बुद्धिजीवियों ने इसे अंतिम सत्य के रूप में न केवल स्वीकार किया अपितु जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे उन्हें लांछित करने का अभियान भी प्रारंभ किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज भारतीय चिंतन के राजनैतिक प्रतीक के रूप में विश्वपटल पर उभरे हैं। ऐसे सभी तत्व जिनके निजी और राजनैतिक हित राष्ट्रीयता के इस उभार और भारतीय देशभक्त समाज द्वारा इसके स्वीकार के कारण खतरे में आ गये हैं वे सभी भारतविरोधी इस अभियान में आ जुटे हैं। आखिरी हथियार के रूप में वे हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। वे फिर भूल रहे हैं कि हिंसा के बल पर इस देश को न इस्लाम झुका सका और न अंग्रेज, इसलिये उनका यह दांव भी बार-बार खाली जा रहा है और यही उनकी खीझ का कारण है।

भारत में खिलाफत आन्दोलन के साथ ही किसी भी कीमत पर मुस्लिम समुदाय को साधने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वह स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। अब इसका प्रयोग अपने आप को पंथनिरपेक्षता का चैंपियन साबित करने के लिये किया जाने लगा। कालान्तर में यह और अधिक विकृत होकर मुस्लिम वोट बैंक की एकमुश्त सौदेबाजी के रूप में सामने आयी जिसने दशकों तक कांग्रेस को सत्ता में बने रहने में मदद की। पंथनिरपेक्षता का बाना ओढ़े अन्य दलों को भी इसने आकर्षित किया। उन्होंने कांग्रेस के इस थोक वोट-बैंक में सेंध लगाने की कोशिश शुरू की। धीरे-धीरे सभी दल वोटों की इस लूट में शामिल हो गये और तुष्टीकरण के नये-नये रूप सामने आने लगे।

गत तीन दशकों में यह वृति वीभत्सता तक पहुंच गयी। इस दौर में हिन्दू आस्थाओं के दमन को मुस्लिम तुष्टीकरण के सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। किसी ने राम मंदिर आंदोलन में कारसेवकों पर सीधी गोली-बारी करके अपने-आप को मुस्लिम समर्थक सिद्ध करने की कोशिश की तो दूसरे ने हिन्दू आतंकवाद का शिगूफा छोड़ कर यह साबित करने की कोशिश की कि आतंकवाद के नाम पर केवल मुस्लिमों को नहीं घेरा जा सकता। गोधरा कांड जैसी लोमहर्षक घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों का समर्थन करने में भी राजनैतिक दलों ने संकोच नहीं किया। इस दौर में हिन्दू की बात करने वाले को साम्प्रदायिक ठहराने और मौका मिलते ही उसे कानूनी मकड़जाल में फाँस देने की घटनाएं हर स्तर पर हुई।

सौ साल बाद कांग्रेस नियति का चक्र पूरा कर खिलाफत आंदोलन की भांति ही तुष्टीकरण के उसी चक्र को दोहराने की कोशिश कर रही है जिसके अनिवार्य परिणाम के रूप में आयी विभाजन की त्रासदी से देश आज तक नहीं उबर सका है। लेकिन आज का भारत 1947 का भारत नहीं है। आत्मविश्वास से भरे भारत में आज राष्ट्रीयता का ज्वार हिलोरें ले रहा है। इसे तोड़ने की कोशिश करने वाली शक्तियों की नियति इस ज्वार में समा जाने की है।

– ***आशुतोष भटनागर***

# पृष्ठभूमि

## दमन और उत्पीडन

पिछले कई दशकों से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है। धार्मिक आधार पर भेदभाव अथवा बहिष्कार एक अत्यंत शर्मनाक घटना है, जिसकी किसी भी राष्ट्र में मौजूदगी वहां के मानवीय मूल्यों के ह्रास को दर्शाती है। इन तीन देशों में अल्पसंख्यकों के हितों और सम्मान की सुरक्षा का कोई संवैधानिक प्रावधान भी नहीं है। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित समाचार-पत्र 'द डॉन' की 20 मार्च, 2015 की एक खबर के अनुसार, पिछले साल पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के 265 मामले सामने आए थे। इसलिए इन देशों के हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्मों के लोग अपनी सुरक्षा एवं बेहतर जीवन के लिए भारत में शरण लेते है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की बालिग-नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर दुष्कर्म की घटनाएं तीव्रता से बढ़ती जा रही है। उनका जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया जाता है। सितंबर 2019 में सिंध के घोटकी जिले में नम्रता चांदनी जोकि चिकित्सा विज्ञान की छात्रा थी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस और प्रशासन दोनों ने दुष्कर्मियों को बचाने का हरसंभव प्रयास किया। होली से एक दिन पहले इसी जिले से दो हिंदू नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर बलपूर्वक उनका धर्म परिवर्तित कर दिया गया। दोनों की जबरदस्ती शादी भी करा दी गई। सिंध प्रान्त में हिन्दू मेघवार समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। यहां की दो नाबालिग लड़कियों रीना मेघवार (12)

और रवीना मेघवार (14) का अपहरण किया गया। एक अन्य हिंदू लड़की सोनिया भील को भी मीरपुर खास से गायब कर दिया गया। 'द डॉन' के अनुसार: पाकिस्तान के उमरकोट जिले में जबरन धर्म परिवर्तन की करीब 25 घटनाएं हर महीने होती है। अगर एक जिले में हर दिन ऐसा होता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य स्थानों की क्या स्थिति होगी!

## धार्मिक कट्टरता, चरमपंथ और आतंकवाद

बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार की समान खबरें सामने आती रहती है। दरअसल, यह तीनों देश धार्मिक कट्टरता, चरमपंथ और आतंकवाद से ग्रसित है। फिलहाल अफगानिस्तान में 6, बांग्लादेश में 14 और पाकिस्तान में 53 खतरनाक आतंकवादी समूह सक्रिय है। साथ ही राजनैतिक अस्थिरता और निष्क्रियता ने हालात को असामान्य बना दिया है। हालाँकि, भारत सरकार ने पहले कई बार इन अल्पसंख्यकों की रक्षा का मामला सम्बंधित देशों के सामने उठाया है, लेकिन वह हमेशा अपर्याप्त रहा।

## भारत में शरण

यूपीए सरकार ने 2014 में आधिकारिक रूप से बताया, ''साल 2013 में 1,11,754 पाकिस्तानी नागरिक वीजा लेकर भारत आये थे। हालाँकि, धर्म के आधार पर उनका वर्गीकरण फिलहाल संभव नहीं है लेकिन बड़ी संख्या में हिन्दू और सिख वीजा की अवधि खत्म होने पर भी भारत में रह रहे है।'' यह तथ्य चौकाने वाला है, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी अल्पसंख्यक वापस जाना नहीं चाहते। विडम्बना यह थी कि यहाँ उनके साथ अवैध विदेशियों अथवा विस्थापितों जैसा व्यवहार किया जाता था। क्योंकि तकनीकी तौर पर इन विस्थापितों के पास भारत की नागरिकता हासिल करने का कोई ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता था। एक तरफ इन पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को जबरन धर्म परिवर्तन, नरसंहार, बलात्कार और संपत्तियों पर अवैध कब्जा

सहना करना पड़ा। जब इन सबसे बचकर उन्होंने भारत की ओर रुख किया, तो यहाँ उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल सकती थी।

## प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भरोसा

यह मामला मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने यह तय किया था कि इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत सरकार को सुनिश्चित करनी होगी। एक सच्चाई यह भी है कि इन पीड़ितों को दुनिया के किसी भी देश में आश्रय नहीं मिल सकता, क्योंकि उन देशों के अपने कानूनी प्रतिबंध है। उनकी एकमात्र उम्मीद भारत से है, क्योंकि इन तीन देशों के साथ हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे है। इसलिए, यह भारत की नैतिक जिम्मेदारी है कि इन विस्थापितों को सम्मान और गर्व के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले, जिसके यह लोग हकदार हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ''हमारी सरकार सिटिजन अमेंडमेंट बिल पर भी आगे बढ़ रही है। ये बिल भावनाओं और लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में यदि कहीं भी मां भारती में आस्था रखने वाले किसी बेटे-बेटी को प्रताड़ित किया जाएगा, तो वह कहां जाएगा? क्या उसके पासपोर्ट का रंग ही देखा जाएगा? क्या खून का कोई रिश्ता नहीं होता है? मुझे उम्मीद है कि यह बिल जल्द ही संसद से पास होगा और भारत माता में आस्था रखने वाले सभी लोगों के हितों की रक्षा होगी।''

*(सिलचर, 4 जनवरी, 2019)*

## कानून के सन्दर्भ में भ्रम

केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा भी किया और आज इन तीन देशों के अल्पसंख्यक भारत के नागरिक बन सकते है। देश भर में नागरिकता कानून के संबंध में चर्चा चल रही है और गलतफहमी के

शिकार लोग हिंसक आंदोलन पर उतर आए हैं। कुछ राजनैतिक दल और मोदी विरोधी इसे अवसर मानकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वास्तविकता साफ करना जरूरी है। सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि नागरिकता संशोधन बिल-2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर दोनों अलग विषय हैं। आज इन दोनों विषयों को मिलाकर अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। लोगों में झूठा डर पैदा किया गया है कि अब इन सारे कदमों से मुसलमानों का संरक्षण समाप्त हो जाएगा और उन्हें बाहरी घोषित किया जाएगा। इससे बड़ा झूठ राजनीति में आज तक कभी भी मंडित नहीं किया गया।

## भारत का विभाजन-पाकिस्तान से आये हिन्दुओं और सिक्ख को नागरिकता

बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों विभाजन के समय भारत का हिस्सा थे। एक जमाने में अफगानिस्तान के हिन्दुकुश तक भारत की सीमाएं लगती थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश को धर्म के आधार पर अलग किया गया और भारत से अल्पसंख्यक मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान में गए। उसी दौरान वहां से हिंदू बड़ी संख्या में भारत आए। शरणार्थियों को भारत में बसाया गया। उस समय महात्मा गांधी ने 12 जुलाई, 1947 को कहा था, ''जिन्हें पाकिस्तान से निकाला गया है, वे भारत के नागरिक है और उनका जन्म भारत की सेवा एवं उसके वैभव को बढ़ाने के लिए हुआ है।'' उन दिनों भारत आए लाखों शरणार्थियों को नागरिकता भी दी गई। जवाहरलाल नेहरू ने फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली की बस्तियों में हिन्दू शरणार्थियों को बसाया था।

## नागरिकता कानून की वास्तविकता

आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों घोषित इस्लामिक देश हैं। इसलिए वहां मुसलमानों की धार्मिक प्रताड़ना का सवाल नहीं उठता। एक प्रश्न आज लोग पूछते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव

क्यों? इसका उत्तर है कि मुसलमान के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और न होगा। आज देश के जो नागरिक हैं उनमें से एक भी मुसलमान को कोई तकलीफ या असुविधा नहीं होगी और न उसकी देशभक्ति पर कोई आशंका उठेगी। यह प्रश्न भारत के नागरिकों का है ही नहीं। इसका संबंध तीन देशों से आए हुए शरणार्थियों से है।

दुनिया में कोई भी देश नागरिकता आसानी से नहीं देता। हर देश के अपने कानून हैं और हर देश में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाता है। यह प्रक्रिया दुनिया भर में अपनाई जाती है। भारत ने भी जब वही नीति अपनाई तो उस पर आपत्ति करते हैं। और अभी तो एनआरसी (NRC) की रूपरेखा भी सामने नहीं आई है। अभी से विवाद पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। आधार कार्ड की शुरुआत हुई तो कई लोग कहते थे कि गरीब कहां से कागज लाएगा? पहचान कैसे बताएगा? कहां से प्रक्रिया पूरी कर सकेगा? आज 10 साल बाद हम देख रहे हैं कि भारत के लगभग सभी नागरिकों ने आधार कार्ड प्राप्त कर लिया है। आशंका उठाने वालों से ज्यादा होशियारी से सामान्य जनता काम करती है, यही इसका अर्थ है। अभी केवल नागरिकता संशोधन कानून आया है। एनआरसी की केवल चर्चा है। जिसे लेकर किसी भी भारतीय नागरिक को डरने अथवा सम्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है।

# नागरिकता ( संशोधन ) कानून-2019

## लोकसभा और राज्य सभा से मंजूरी

संसद में यह विधेयक संवैधानिक, लोकतान्त्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पारित हुआ।

- नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया। इस दौरान सदन के सभी दलों के 48 सदस्यों ने अपने विचार रखे। अंत में मतदान किया गया, जिसमें विधेयक के पक्ष में 311 और विरोध में 80 वोट पड़े थे। अतः यह लोकसभा में बहुमत से पारित हो गया।
- विधयेक को 11 दिसम्बर, 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्य सभा के समक्ष रखा गया। यहाँ सदन के सभी दलों के 44 सदस्यों ने अपना मत रखा। राज्य सभा में भी मतदान किया गया, जिसमें विधेयक के पक्ष में 125 और विरोध में 105 वोट मिले। अतः यहाँ भी यह बहुमत के साथ पारित हो गया।
- भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर, 2019 को इस विधेयक पर हस्ताक्षर किये। इस प्रकार यह नागरिकता (संशोधन) कानून-2019 बन गया।

## कानून के मुख्य अंश

यह कानून सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के

धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है, इससे भारतीय नागरिकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा।

- इस कानून का सम्बन्ध पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से है। इसके अनुसार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों से सम्बंधित व्यक्तियों को भारत सरकार अवैध विस्थापित नहीं मानेगी।

- उपरोक्त धर्मों के अनुयायी जो 31 दिसम्बर, 2014 तक अथवा उससे पहले भारत आ चुके है, तो वह भारतीय नागरिकता पाने के पात्र होंगे।

- इस कानून में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में ढील दी गयी है। अब यह अवधि केवल 5 वर्ष की होगी।

- इसके प्रावधान अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड पर लागू नहीं होंगे। यह राज्य इनर लाइन परमिट (ILP) के दायरे में आते हैं।

- नागरिकता (संशोधन) कानून असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी बहुल इलाकों (जिन्हें संविधान की छठी अनुसूची के तहत परिभाषित किया गया है) पर भी लागू नहीं होगा।

**नागरिकता कानून और संशोधन**

नागरिकता कानून में पहले भी नौ संशोधन किये जा चुके है, जिसमें से पहले आठ कांग्रेस की केंद्र सरकारों ने किये है।

- पहला संशोधन-27 दिसंबर, 1957 (प्रधानमंत्री जवाहरलाल

नेहरू, कांग्रेस)

- दूसरा संशोधन-26 दिसंबर, 1960 (प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस)
- तीसरा संशोधन-7 दिसंबर, 1985 (प्रधानमंत्री राजीव गाँधी, कांग्रेस)
- चौथा संशोधन-15 मई, 1986 (प्रधानमंत्री राजीव गाँधी, कांग्रेस)
- पांचवा संशोधन-1 जुलाई, 1987 (प्रधानमंत्री राजीव गाँधी, कांग्रेस)
- छठा संशोधन-10 दिसंबर, 1992 (प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, कांग्रेस)
- सातवां संशोधन-3 दिसंबर, 2004 (प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस)
- आठवाँ संशोधन-28 जून, 2005 (प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस)
- नवां संशोधन-6 जनवरी, 2015 (प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी)

# गृह मंत्री, अमित शाह द्वारा स्पष्टीकरण एवं आश्वासन

**वह 10 प्रश्न, जिनके जवाब जानना बेहद जरुरी है।**

**1. कानून की जरुरत क्यों?**

''यह बिल कभी संसद में न आता, अगर भारत का बंटवारा न हुआ होता। बंटवारे के बाद जो परिस्थितियां आईं, उनके समाधान के लिए मैं यह बिल आज लाया हूं। पिछली सरकारें समाधान लाई होतीं, देश का विभाजन न हुआ होता और धर्म के आधार पर न हुआ होता, तो भी यह बिल न लाना होता।''

**2. पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बनाम भारत के अल्पसंख्यक**

''नेहरू-लियाकत समझौते के तहत दोनों पक्षों ने स्वीकृति दी कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुसंख्यकों की तरह समानता दी जाएगी। उनके व्यवसाय, अभिव्यक्ति और पूजा करने की आजादी भी सुनिश्चित की जाएगी। यह वादा अल्पसंख्यकों के साथ किया गया लेकिन वहां लोगों को चुनाव लड़ने से भी रोका गया। उनकी संख्या लगातार कम होती रही और यहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस जैसे कई उच्च पदों पर अल्पसंख्यक रहे। यहां (भारत में) अल्पसंख्यकों का संरक्षण हुआ।''

**3. पंथनिरपेक्ष कानून**

''विपक्ष का ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि मुस्लिम को क्यों

नहीं लेकर आ रहे हैं? आपकी पंथनिरपेक्षता सिर्फ मुस्लिमों पर आधारित होगी? लेकिन हमारी पंथनिरपेक्षता किसी एक धर्म पर आधारित नहीं है! इस बिल में उनके लिए व्यवस्था की गई है जो पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को यहां की नागरिकता देकर हम उनकी समस्या को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। आज नरेन्द्र मोदी जी जो बिल लाए हैं, उसमें निर्भीक होकर शरणार्थी कहेंगे कि हां हम शरणार्थी हैं, हमें नागरिकता दीजिए और सरकार नागरिकता देगी।''

## 4. भारतीय नागरिकों को डरने की जरुरत नहीं

''भारत में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों और बहनों को डरने की जरूरत नहीं है। इस बिल से किसी की नागरिकता छिनने नहीं जा रही है। इस देश के गृह मंत्री पर सभी का भरोसा होना चाहिए, फिर वे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक।''

## 5. सिर्फ तीन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता क्यों?

''जब इंदिरा जी ने 1971 में बांग्लादेश के शरणार्थियों को स्वीकारा, तब श्रीलंका के शरणार्थियों को क्यों नहीं स्वीकारा। समस्याओं को उचित समय पर ही सुलझाया जाता है। इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।''

## 6. अनुच्छेद-14 का हनन नहीं

''अनुच्छेद-14 में जो समानता का अधिकार है वह ऐसे कानून बनाने से नहीं रोकता जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर है। यहां रीजनेबल क्लासिफिकेशन आज है। हम एक धर्म को ही नहीं ले रहे हैं, हम तीनों देशों के सभी अल्पसंख्यकों को ले रहे हैं और उन्हें ले रहे हैं जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हैं।''

## 7. रोहिंग्या मुसलमान क्यों नहीं?

''जहां तक रोहिंग्या का सवाल है तो वे लोग सीधे हमारे देश में नहीं आते हैं। वे पहले बांग्लादेश जाते हैं फिर वहां से घुसपैठ करके आते हैं। रोहिंग्याओं पर हमारा मत एकदम स्पष्ट है।''

## 8. उत्तर-पूर्वी राज्यों की सुरक्षा

''मैं सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आर्टिकल-371 को इस बिल की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कहीं से भी इस आर्टिकल को नहीं हटाने जा रहे हैं। हम असम समझौते का पूरी तरह पालन करेंगे। असम की संस्कृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम इसे पूरा करेंगे।''

## 9. भ्रामक प्रचार से बचे

''इस बिल में मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं जाता। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि भ्रामक प्रचार में मत आइए। इस बिल का भारत के मुसलमानों की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है।''

## 10. कांग्रेस की पाकिस्तानी जुगलबंदी

''कांग्रेस के नेताओं के बयान और पाकिस्तान के नेताओं के बयान कई बार घुलमिल जाते हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कल जो बयान दिया और जो बयान आज सदन में कांग्रेस के नेताओं ने दिए वे एक समान हैं। आर्टिकल-370, एयरस्ट्राइक, कश्मीर और नागरिकता संशोधन विधेयक पर पाकिस्तान के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं के बयान एक समान हैं। कांग्रेस के नेताओं के बयान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन में कोट किया। पाकिस्तान में हिन्दू-सिख लड़कियों का

जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अफगानिस्तान में भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ इसी तरह के जुल्म किए गए।''

## भारतीय मुसलमानों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुप्रचार

लोकतांत्रिक देश में कोई किसी भी कानून का विरोध कर सकता है, लेकिन अभी तो विरोध के बहाने हिंसा अधिक हो रही है। इसी कारण सवाल उठ रहे है कि आखिर यह विरोध हो रहा है या फिर अराजकता फैलाई जा रही है?

- संसद से नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने और उसके कानून का रूप लेने के बाद देश का माहौल यकायक बदल गया। इसका देश के कई हिस्सों में विरोध होने लगा। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में तो विरोध के नाम पर बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ देखने को मिली। इस हिंसा में सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया।

- नागरिकता कानून कोई नया कानून नहीं है। इसमें तो संशोधन कर यह व्यवस्था भर की गई है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के शिकार उन अल्पसंख्यकों को तय प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर, 2014 के पहले भारत आ चुके है। केवल अल्पसंख्यकों को इसीलिए शामिल किया गया है, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्लाम राजकीय धर्म है।

- हालांकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की ओर से बार-बार यह कहा जा रहा है कि नागरिकता कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई वास्ता नहीं और यह कानून तो उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों को नागरिकता देने का है, न कि

किसी की नागरिकता लेने का, फिर भी विरोध के नाम पर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। जिन तीन पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार लोगों के पास भारत भाग आने के अलावा यदि कोई विकल्प है तो यही कि या तो वे मारे जाएं या फिर अपना धर्म त्याग दें। क्या यह एक हकीकत नहीं और क्या इसी कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लगातार तेजी से कम नहीं होते जा रहे है?

- नागरिकता कानून का पूर्वोत्तर में जो विरोध हो रहा है वह शेष देश के विरोध से अलग है। पूर्वोत्तर के लोगों को भय है कि पड़ोसी देशों से आए लोगों को यदि नागरिकता मिली तो उनकी संस्कृति और भाषा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसे किसी खतरे की आशंका शेष देश के लोगों को नहीं-भले ही वे हिंदू हों या मुसलमान, फिर भी आम मुसलमानों में यही डर भरा जा रहा है कि यह कानून उनके खिलाफ है या फिर इससे उनका अहित हो सकता है। यह एक सोचा-समझा कुप्रचार है। यह कुप्रचार बार-बार के इस स्पष्टीकरण के बाद भी जारी है।

- यदि नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर सबसे ज्यादा आशंका मुस्लिम समाज के बीच है तो इसका एक बड़ा कारण मुस्लिम समाज का नेतृत्व है जो अपने लोगों को सही जानकारी देने के बजाय उन्हें बरगलाने और उनमें असुरक्षा की भावना भरने का काम कर रहा है।

- राजनैतिक स्वार्थ के चलते मुस्लिम समाज को किस्म-किस्म के खतरों का भय दिखाकर उसे सड़क पर उतारने का काम एक लंबे अरसे से होता चला आ रहा है। यह अभी भी हो रहा है। जब इस आशंका को दूर करने का काम होना चाहिए तब उसे गहराने का काम किया जा रहा है। यह नकारात्मक

राजनीति तो बर्बादी का रास्ता है। दुर्भाग्य से यह नकारात्मक राजनीति शिक्षा संस्थानों में भी देखने को मिल रही है। नकारात्मक राजनीति में फंसा कोई समाज ढंग से तरक्की नहीं कर सकता। समाज को समृद्ध करने वाले शिक्षा संस्थान आज राजनीतिक टकराव और अशांति का केंद्र बन रहे है।

- भारतीय मुसलमानों को सकारात्मकता की डोर थामने की जरूरत है और साथ ही ऐसे खुदगर्ज नेताओं से खुद को बचाने की भी जिन्हें समाज की कम और अपने स्वार्थ की चिंता ज्यादा है।

# पाकिस्तान से विस्थापित हिन्दुओं के लिए पूर्ववर्ती व्यवस्था

## एनडीए और यूपीए

आज कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस कानून का विरोध कर रहे है, जबकि यूपीए के समय में भी पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए कानून बनाया गया था।

- एनडीए सरकार ने 28 फरवरी, 2004 और यूपीए सरकार ने 27 फरवरी, 2007 को गुजरात और राजस्थान की राज्य सरकारों को अधिकार दिया था कि वे पाकिस्तानी हिन्दुओं को नागरिकता प्रदान कर सकती है।

- अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पहली दफा इसे कानूनी जामा पहनाया और साफ किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी आएंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। आश्चर्य की बात है कि आज आंदोलन करने वाले अनेक दल उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस पहल का समर्थन कर रहे थे।

- उसके बाद 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में मनमोहन सरकार बनी। उसने संसद में इसी बिल को फिर से पारित करके उसकी समायावधि 1 साल के लिए बढ़ा दी। 2005 में इस कानून की वैधता 1 साल और बढ़ाई गई। उस समय उनके साथी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस और वे सभी दल थे जो

आज नागरिकता कानून के विरोध में बोल रहे हैं।

- 2003 का कानून केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं की बात करता है। आज का कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी सबकी बात करता है जिनकी धार्मिक प्रताड़ना होती आ रही है। अभी 2019 में मोदी सरकार जो नागरिकता संशोधन कानून लाई है, वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले उन धार्मिक समुदायों के लिए है जो प्रताड़ना के शिकार होते हैं। ऐसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध पंथों के शरणार्थियों को नागरिकता देने की व्यवस्था इस कानून में है। यह पहले से ज्यादा व्यापक है। वास्तव में, सभी पार्टियों को इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन राजनीति के कारण आज कुछ विपक्षी दल 2004 और 2005 में ली गई भूमिका के विपरीत खड़े होते दिख रहे हैं।

- एक लम्बी अवधि का वीजा देने का प्रावधान भी अस्तित्व में था। यूपीए में केंद्रीय गृह मंत्री (राज्य) एम. रामचंद्रन ने लोकसभा में 18 फरवरी, 2014 को बताया कि लम्बी अवधि का वीजा देने का नियम पाकिस्तानी हिन्दू अथवा अल्पसंख्यकों लिए बनाया गया है। अगर वे अपने को शरणार्थी घोषित करते है तो उन्हें भारत में रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए 29 दिसंबर, 2011 में नियम बनाये गए और 7 मार्च, 2012 को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिसूचना जारी कर दी गयी थी।

# 'इस्लामिक' देश-तानाशाही, बहुलतावाद और आतंकवाद

## लोकतंत्र के स्थान पर शरियत

- पाकिस्तान के संविधान 1973 के अनुसार वह इस्लामिक गणतंत्र है। बांग्लादेश के संविधान में इस्लाम को स्टेट रिलिजन घोषित किया गया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ अफगानिस्तान के संविधान के दूसरे एवं तीसरे अनुच्छेद में इस्लाम को प्रधानता दी गयी है।

- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्राध्यक्ष का मुसलमान होना जरूरी है। सभी अधिकारियों को इस्लाम के नियमों पर आधारित शपथ की बाध्यता है। राजनैतिक दल चरमपंथी उलेमाओं की सलाह के बिना एक कदम नही उठा सकते अथवा उनके खिलाफ नही जा सकते।

- अमेरिका के एक अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान पीआरसी ने 39 इस्लामिक देशों में एक सर्वेक्षण किया था। उन्होंने मुसलमानों से पूछा कि क्या वे अपने देश को शरियत कानून के अनुसार चलाना चाहते है? जवाब में अफगानिस्तान के सभी लोगों (99 प्रतिशत), पाकिस्तान के 84 प्रतिशत और बांग्लादेश में 82 प्रतिशत लोगों ने माना कि उनके यहाँ आधिकारिक कानून शरियत ही होना चाहिए।

- पाकिस्तान में कई सालों तक तानाशाही रही जबकि अफगानिस्तान ने लोकतंत्र देखा ही नही है। दूसरा, इन देशों के संविधान से भी कई बार छेड़खानी हो चुकी है, जिसे कट्टर धार्मिक आकार दिया गया है। इसलिए इन देशों की पूरी व्यवस्था को धर्मतंत्र ने जकड़ लिया है।

- पाकिस्तान में 96.28 प्रतिशत, बांग्लादेश में 90.39 प्रतिशत और अफगानिस्तान में 99 प्रतिशत मुस्लमान जनसँख्या है। (पाकिस्तान और बांग्लादेश के आंकड़े आधिकारिक है, उन्हें वहां के सांख्यिकी विभाग से लिया गया है। जबकि अफगानिस्तान में सरकारी जनगणना नहीं हुई तो इसके आंकड़े यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के अनुसार है)

- एक अन्य सर्वेक्षण में जब पीआरसी ने सवाल किया कि ISIS के बारे में मुसलमानों का क्या सोचना है? इसके नतीजे भी चौकाने वाले थे। अधिकतर देशों ने हिंसा को जायज बताया जिसमें सबसे ज्यादा संख्या अफगानिस्तान में 39% थी। बांग्लादेश में ऐसे लोग 26% और पाकिस्तान में लगभग 13% थे। ISIS एक आतंकवादी संगठन है जोकि गैर-मुसलमानों के खिलाफ क्रूर हिंसा के लिए बदनाम है। यह आँकडें बताते है कि इन देशों में गैर-मुसलमानों का बहिष्कार किया जाता है, जिसे राजनैतिक समर्थन हासिल है।

## अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आबादी

- संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने 2007 में अफगानिस्तान पर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें वहाँ के अल्पसंख्यक लोगों के लगातार विस्थापन पर चर्चा की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, ''यहाँ मुश्किल से 3,000 हिन्दू और सिख रहते हैं। कुछ

सालों पहले तक हिन्दू, सिख, यहूदी, और ईसाई धर्मों के लोग यहाँ बसे हुए थे, लेकिन तालिबान शासन और गृह युद्ध के बाद अधिकतर लोग पलायन कर चुके है। अब इनकी कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम है। सालों के संघर्ष में लगभग 50,000 हिंदू और सिख लोग शरण के लिए दूसरे देशों में विस्थापित हो गए हैं।''

- विभाजन के समय पाकिस्तान में हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय वहां की तत्कालीन कुल आबादी का 23 प्रतिशत थे, जो 72 वर्ष पश्चात घटकर 1.5 से 2 प्रतिशत रह गए हैं।
- इसी तरह बांग्लादेश (1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान) में हिन्दू और बौद्ध अनुयायियों की संख्या 1947 में वहां की कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत थी, जो आज 8 प्रतिशत से भी कम है।

## विश्व के सबसे असहिष्णु देश

इन देशों में अल्पसंख्यकों की जमीनों पर जबरन कब्जा, हमला, अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिर तोड़ना, बलात्कार और हत्या एवं नरसंहार जैसी घटनाएँ सामने आती रहती हैं। इसका कारण सरकारों का अलोकतांत्रिक रवैया और न्यायिक प्रक्रिया का कमजोर होना है।

- 'द टेलीग्राफ' के अनुसार अफगानिस्तान विश्व का सबसे असहिष्णु देश है। (29 दिसम्बर, 2016)
- अखबार ने इस सूची में पाकिस्तान को अठारहवें स्थान पर रखा है। बांग्लादेश में भी गैर-मुसलमानों का जीवन दूभर हो चुका है।

# अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संज्ञान

## संयुक्त राष्ट्र संघ

- ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जोकि मानवाधिकारों के लिए कार्य करती है। इस संस्था ने 22 सितम्बर, 2018 को संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा स्थित मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जिसका उद्देश्य पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न पर अंतरराष्ट्रीय जागरूकता पैदा करना था। सैकड़ों शांतिपूर्ण लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। उन्होंने जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और दूसरी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है।

## यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका

- पिछले साल यानि 25 जुलाई, 2018 को कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सदस्य, एडम शिफ ने सदन में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ''मैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मानवाधिकारों के हनन पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सालों से, सिंध में राजनैतिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिदिन जबरन धर्म परिवर्तन, सुरक्षा बलों द्वारा अपहरण और हत्या के खतरों का सामना करना पड़ता है।''

- हवाई से अमेरिकी संसद की सदस्य और वहाँ राष्ट्रपति उम्मीदवार की दौड़ में शामिल, तुलसी गबार्ड भी 21 अप्रैल, 2016 को बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति का खुलासा कर चुकी हैं। उन्होंने सदन में कहा, ''दुर्भाग्य से, बांग्लादेश में नास्तिक, धर्म निरपेक्षतावादियों, हिन्दू, बौद्ध, और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और घातक हिंसा नियमित घटनाएँ हो चुकी हैं।''

# साल 2016 में संशोधन के प्रयास

## जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ( जेपीसी )

नागरिकता (संशोधन) विधयेक-2016 में भी लाया गया था, जिसके बाद एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) का भी गठन हुआ था। उसमें सर्वदलों को शामिल किया गया और जरुरी बदलाव भी सुनिश्चित किये गए। पूरी प्रक्रिया लोकतान्त्रिक और संवैधानिक थी, फिर भी विपक्षी दलों द्वारा नागरिकता कानून का विरोध किया जा रहा है।

- भारत सरकार वर्ष 2016 में नागरिकता (संशोधन) विधेयक लेकर आई थी।
- गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इसे 19 जुलाई, 2016 को लोकसभा में पेश किया।
- विपक्ष की मांग पर इसे 11 अगस्त को लोकसभा द्वारा एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (लोकसभा और राज्यसभा) को भेज दिया गया। अगले दिन राज्यसभा ने भी इस पर अपनी सहमति जताई।
- नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर सबसे पहले जेपीसी का गठन 1955 में हुआ था।
- साल 2016 के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नागरिकता (संशोधन) विधेयक को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष पेश किया गया।

जेपीसी में लोक सभा और राज्य सभा के सभी प्रमुख दलों को शामिल किया गया था।

जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल (मेरठ, भाजपा) थे। (कमेटी के अध्यक्ष डॉ. सत्यपाल सिंह थे, लेकिन बाद में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इसलिए 25 दिसंबर, 2017 को राजेंद्र अग्रवाल अध्यक्ष बने। इसके अलावा हरवंश नारायण सिंह 9 अगस्त, 2019 को राज्य सभा के उपसभापति चुने गए इसलिए उनका स्थान खाली रहा।)

- **लोकसभा** से भाजपा के रमन डेका (मंगलदोई, असम), प्रह्लाद वेंकटेश जोशी (धारवाड़, कर्णाटक), कामख्या प्रसाद तासा (जोरहट, असम), गोपाल चिनाय्या शेट्टी (मुंबई-उत्तर, महाराष्ट्र) ओम बिरला (कोटा, राजस्थान), जुगल किशोर शर्मा (जम्मू, जम्मू और कश्मीर), डॉ. किरीट पी. सोलंकी (अहमदाबाद-पश्चिम, गुजरात), सुनील कुमार सिंह (चतरा, झारखंड), मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली, दिल्ली) और सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद, बिहार)
- कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल) और सुष्मिता देव (सिलचर, असम)
- ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लुवर, तमिलनाडु)
- आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से सौगत रॉय (दमदम, पश्चिम बंगाल)
- बीजू जनता दल से भर्तहरि महताब (कटक, ओडिशा)
- तेलगू देशम पार्टी से के. राम मोहन नायडू (श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश)

- शिव सेना से आनंदराव अड़सूल (अमरावती, महाराष्ट्र)
- तेलंगाना राष्ट्र समिति से बी. विनोद कुमार (करीमनगर, तेलंगाना)
- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) से मोहम्मद सलीम (रायगंज, पश्चिम बंगाल)
- **राज्यसभा** से भाजपा के डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र), नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान)
- कांग्रेस से पी. भट्टाचार्य (पश्चिम बंगाल) और भुवनेश्वर कलिता (असम)
- समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश)
- आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओ'ब्रायन (पश्चिम बंगाल)
- जनता दल यूनाइटेड से हरवंश नारायण सिंह (बिहार)
- बीजू जनता दल से प्रसन्न आचार्य (ओडिशा)
- बहुजन समाज पार्टी से सतीश चन्द्र मिश्र (उत्तर प्रदेश)
- नामांकित सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता

विपक्ष के कुछ दल विधेयक के प्रस्तावों पर असहमत थे इसलिए कमेटी का कार्यकाल छह बार बढाया गया। इस दौरान कमेटी ने अध्ययन दौरे भी किये। जिसमें कुल 9267 प्रवासियों और गैर-सरकारी संस्थाओं और 49 जन-प्रतिनिधियों एवं अन्य व्यक्तियों से मुलाकात शामिल है।

- जोधपुर (18 से 20 दिसंबर, 2016)
- अहमदाबाद और राजकोट (18 से 20 अप्रैल, 2017)

- गुवाहाटी, सिलचर और शिलॉग (7 से 11 मई, 2018)

जेपीसी के सदस्यों ने स्थानीय शरणार्थी, गैर-सरकारी संस्थाओं, जन-प्रतिनिधियों और अन्य सम्बंधित व्यक्तियों से औपचारिक मुलाकात की। इस कमेटी ने गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से भी साक्ष्य एकत्रित किये।

- इन तीन मंत्रालयों के साथ संयुक्त समिति ने 21 सितम्बर, 2016, 3 अक्टूबर, 2016, 22 मार्च, 2017, 3 जनवरी, 2018, और 23 अक्टूबर, 2018 को बैठकें की।

अगले चरण में कमेटी ने गैर-सरकारी गवाहों के भी बयान दर्ज किये।

- यह बयान 13 अक्टूबर, 2016, 25 अक्टूबर, 2016, 19 जुलाई, 2017, और 17 अप्रैल, 2018 को दर्ज किये गए। इसमें कुल 56 गैर-सरकारी गवाह शामिल थे।
- जेपीसी द्वारा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भी 26 अक्तूबर, 2016 को बुलाया गया।
- समिति ने विधेयक के प्रत्येक बिंदु पर 20 नवम्बर, 2018, 27 नवम्बर, 2018, और 31 दिसंबर, 2018 को चर्चा की।

इस प्रकार विधेयक के प्रत्येक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद 7 जनवरी, 2019 को समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने रिपोर्ट दोनों सदनों को सौंप दी। लगातार 29 महीनों तक कमेटी ने प्रामाणिकता और गंभीरता से सम्बंधित सभी पक्षों को सुना और 11 बैठकों के बाद नागरिकता कानून में संशोधन लोकसभा में पेश किया गया।

- जेपीसी में लगभग सभी दलों को शामिल किया गया था, जिसके पीछे का एक उद्देश्य था कि विधेयक पर एक राय बन सके। केंद्र सरकार ने इस विधेयक के लिए हमेशा

सर्वसम्मत्ति को शामिल किया था। जेपीसी के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने सदन को बताया कि विधेयक में कई संशोधन सहमति से किये गए थे। (लोक सभा, 8 जनवरी, 2019)

## जनवरी 2019 में फिर से प्रयास

- लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विधेयक को 8 जनवरी, 2019 को दोबारा पेश किया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक में 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आये हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, ईसाइयों और पारसियों जैसे छह अल्पसंख्यक समुदायों को भारत की नागरिकता हासिल करने का प्रावधान है।

- इस विधेयक को सदन के समक्ष रखते हुए गृह मंत्री ने कहा, ''यह अधिनियम असम राज्य तक ही सीमित नहीं है। विधेयक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा और इसके लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में रह सकते हैं। इन उत्पीड़ितों के विस्थापन पर खर्चे को पूरे देश द्वारा साझा किया जाएगा।''

- अधिनियम के बारे में गलतफहमी को दूर करते हुए, राजनाथ सिंह ने इन देशों में इन समुदाय के लोगों पर हुए भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत को छोड़कर उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अधिनियम इन सभी उत्पीड़ित प्रवासियों को राहत प्रदान करेगा।''

- यह विधेयक लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया लेकिन सत्र की समाप्ति के कारण यह राज्य सभा में पेश नहीं सका।

# साल 2004-2014 के बीच पाकिस्तान में हिन्दुओं पर अत्याचार

## यूपीए सरकार के बयान

पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों का मामला कई बार सदन में उठाया जा चुका है। साल 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार मानती थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे है। मगर इस सम्बन्ध में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

- साल 2005 में यूपीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री ई. अहमद ने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। (लोकसभा, 7 दिसंबर, 2005)
- साल 2007 में विदेश राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने बताया कि पाकिस्तान से हिन्दू भारी संख्या में भारत आ रहे है। (लोकसभा, 27 फरवरी, 2007)
- साल 2010 में लोकसभा में विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने बताया कि सरकार को पाकिस्तान में हिन्दुओं के खिलाफ अत्याचारों की जानकारी है। (लोकसभा, 21 अप्रैल, 2010)
- साल 2011 में भी विदेश राज्य मंत्री परणीत कौर ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार हिन्दुओं के उत्पीडन

(Persecution) पर चिंतित है। (लोकसभा, 23 नवम्बर, 2011)

- साल 2013 में संसदीय कार्य मंत्री राजीव शुक्ला ने भी हिन्दुओं के उत्पीडन की बात स्वीकार की। (राज्य सभा, 17 मार्च, 2013)
- साल 2014 में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि सरकार को बांग्लादेश में हिन्दुओं की समस्याओं की जानकारी है। (राज्य सभा, 13 फरवरी, 2014)
- असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगई ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 20 अप्रैल, 2012 को एक मेमोरंडम दिया था। उन्होंने बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर उत्पीड़ितों को भारतीय बताते हुए कहा कि उनसे भारत सरकार विदेशियों की तरह बर्ताव न करे। (द इकनोमिक टाइम्स, 2 जून, 2015)

# विभाजन और राहत-पुनर्वास कार्य ( 1947 )

## हिन्दुओं और सिक्खों पर अत्याचार

- 'मिशन विद माउंटबेटन' पुस्तक के लेखक एलन कैंपबेल-जोहानसन विभाजन पर लिखते है, ''21 सितम्बर, 1947 की सुबह गवर्नर-जनरल के डकोटा हवाई जहाज से माउंटबेटन, इस्मे, वेरनों, एलन कैंपबेल-जोहानसन (लेखक), नेहरू, पटेल, नियोगी, राजकुमारी अमृत कौर, जनरल लॉकहार्ट, एचएम पटेल, और वी शंकर ने पूर्वी एवं पश्चिमी पंजाब के दौरा किया।'' उन्होंने रावी नदी के आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए बताया कि यह लिखित इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन है। (पृष्ठ 232)

- एक अन्य पुस्तक 'द लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज' में लियोनार्ड मोसेली लिखते है, ''अगस्त 1947 से अगले नौ महीनों में 1 करोड़ 40 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। इस दौरान करीब 6,00,000 लोगों की हत्या कर दी गई। बच्चों को पैरों से उठाकर उनके सिर दिवार से फोड़ दिए गए, बच्चियों का बलात्कार किया गया, बलात्कार कर लड़कियों के स्तन काट दिए गए और गर्भवती महिलाओं के आंतरिक अंगों को बाहर निकाल दिया गया।'' (पृष्ठ 280)

- इन घटनाओं को देखते हुए सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री नेहरू को 2 सितम्बर 1947 को पत्र लिखा, ''सुबह से शाम तक मेरा पूरा समय पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू और सिखों के दुख और अत्याचारों की कहानियों में बीत जाता है।''

## पाकिस्तान का धार्मिक आधार पर विभाजन

मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 मांगों का एक ज्ञापन तैयार किया था। इसका मकसद एक अलग इस्लामिक देश का गठन करना था। इसका प्रारूप हद से ज्यादा कट्टर और इस्लाम को छोड़कर अन्य धर्मों की भावनाओं को आहत करने वाला था। इसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे:

- मुसलमानों को गौ हत्या की छूट होगी
- जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होंगे परिसीमन नहीं होगा
- वंदेमातरम समाप्त करना होगा
- तिरंगे में बदलाव किया जाना चाहिए
- मुस्लिम लीग के झंडे को तिरंगे के बराबर दर्जा मिले

ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अपनी इन सांप्रदायिक मांगों पर अड़ गई और भारत का विभाजन धर्म के आधार कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया।

## पंजाब और सिंध की स्थिति

- पंजाब के गवर्नर जनरल फ्रांसिस मुडी ने जिन्ना को 5 सितंबर 1947 को पत्र लिखा, ''मुझे नहीं पता कि सिख सीमा कैसे पार करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि हमें जल्द से जल्द उनसे छुटकारा पाना होगा।''
- पाकिस्तान के सिंध प्रान्त से भी हिन्दुओं पर हमले की खबरें लगातार मिल रही थी। प्रधानमंत्री नेहरू ने 8 जनवरी 1948 को बीजी खेर को एक टेलीग्राम भेजा, ''स्थितियों को देखते हुए (सिंध में गैर-मुसलमानों की हत्या और लूट-पाट हो रही थी), सिंध से हिन्दू और सिख लोगों को निकालना होगा।''

अगले दिन प्रधानमंत्री ने खेर को एक पत्र भी लिखा, ''सिंध में हालात खराब है और मुझे डर है कि हमें भारी संख्या में निष्क्रमण देखना होगा। हम उन्हें सिंध में नहीं छोड़ सकते।'' पाकिस्तान में हिन्दुओं के नरसंहार को लेकर प्रधानमंत्री परेशान थे और उन्होंने सरदार पटेल को भी वहां की स्थितियां बताने के लिए 12 जनवरी 1948 को एक पत्र लिखा।

- सरदार ने पहले ही उनकी सुरक्षा और पुनर्वास के प्रयास शुरू कर दिए थे। उनका स्पष्ट मत था कि पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों का रुकना संभव नहीं है।

## हिन्दू विस्थापितों का राहत एवं पुनर्वास

- देश के पहले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का चुनावी घोषणा-पत्र खुद जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इसे कांग्रेस कार्यसमिति ने बैंगलोर में 13 जुलाई, 1951 को पारित किया। इस घोषणा-पत्र में कॉन्ग्रेस ने बताया कि साल 1951-52 में विस्थापितों के पुनर्वास और राहत के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे।

- पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं और सिखों का भारत में पुनर्वास एक जटिल कार्य था। प्रधानमंत्री नेहरू ने 15 नवंबर 1950 को संसद में यह स्वीकार किया था कि किसी अन्य देश को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, जैसी विस्थापन की समस्या भारत के सामने थी। इसमें नेहरू लिखते है, ''पिछले चार सालों की सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों का पुनर्वास है। जिसपर तात्कालिक और लगातार ध्यान देने की जरूरत है।'' इस घोषणा-पत्र में कांग्रेस ने बताया कि साल 1951-52 में विस्थापितों के पुनर्वास और राहत के लिए 140 करोड़ रुपए

खर्च किए जाएँगे। इसमें उनके लिए दुकानें और औद्योगिक क्षेत्र के अलावा 86,000 नए घर बनवाना भी शामिल था।

- पाकिस्तानी गैर-मुसलमानों को देशभर में बसाना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल था। फिर भी, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में गैर-मुसलमान रह गए थे, जिनका बाद में भी विस्थापन जारी रहा। पहली लोकसभा में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सीपी गिडवानी ने 6 दिसंबर, 1952 को बताया, ''हमारा सिन्धी का एक अखबार है जो बम्बई से निकलता है। उसने लिखा है कि परसों एक जहाज कराची से आया, उसमें 23 हिन्दू आए। उसमें से एक ने बयान दिया है कि एक हिन्दू किसी गाँव में जा रहा था, उसका कत्ल करके उसकी लाश को एक बोरी के अन्दर डाल दिया गया। इसलिए विवश होकर हमें यहाँ आना पड़ा।''

- भारत सरकार ने लोकसभा में 1959 में एक ब्यौरा दिया। इसके अनुसार राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, बिहार, असम और अंडमान निकोबार में पाकिस्तानी गैर-मुसलमानों को बसाया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस पुनर्वास कार्यक्रम का पूरा विवरण दिया गया था।

- इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान से 89 लाख धार्मिक कारणों से प्रताड़ित गैर-मुसलमान भारत आए, जिसमें से 47 लाख पश्चिम पाकिस्तान और शेष पूर्वी पाकिस्तान से थे। साल 1947-48 और 1960-61 के बीच कुल 239 करोड़ रुपए इन विस्थापितों के पुनर्वास के लिए तय किए गए थे। इसमें से 133 करोड़ पश्चिम पाकिस्तान और 106 करोड़ पूर्वी पाकिस्तान के लिए आवंटित किए गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना से पहले 70.87 करोड़, पहली पंचवर्षीय

योजना में 97.55 करोड़ और दूसरी पंचवर्षीय योजना में 70.32 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।

- यही नहीं, इस दौरान सरकार ने 33,000 परिवारों को अस्थायी तंबुओं से निकालकर जमीनें वितरित की थी। लगभग 1,10,000 लोगों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा भी दी गई थी।

- आज कांग्रेस नागरिकता (संशोधन) कानून का विरोध कर रही है। इसका कोई आधार नहीं है। वास्तव में उनके नेताओं को अपने इतिहास को जानने और समझने की जरूरत है। उस दौर में प्रधानमंत्री नेहरू के केंद्रीय मंत्रिमंडल में राहत और पुनर्वास के लिए एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया था। इसका कभी किसी ने विरोध नहीं किया और विश्व के सबसे बड़े विस्थापन को नियमित किया गया था।

# भारत की संविधान सभा

## नागरिकता कानून

- डॉ. भीम राव आंबेडकर ने 10 अगस्त, 1949 को नागरिकता से संबधित अनुच्छेद 5 को भारत की संविधान सभा के समक्ष पेश किया। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के अनुसार नागरिकता को परिभाषित किया, ''जो भारत में पैदा हुआ अथवा जिसके माता-पिता (अभिभावक) भारतीय क्षेत्र में पैदा हुए थे अथवा कम-से-कम 5 साल के लिए भारत के सामान्य नागरिक रहें, तुरंत इस प्रक्रिया के आरंभ होने के बाद भारत के नागरिक बन सकते है।'' बाबासाहब ने पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू और सिखों को भी भारतीय नागरिकता देने की संवैधानिक व्यवस्था की थी। उन्होंने 19 जुलाई, 1948 से पहले विस्थापित हुए लोगों को भारतीय नागरिक बनाने का प्रस्ताव शामिल किया था। साथ ही, उपरोक्त तारीख के बाद जो लोग भारत की नागरिकता का आवेदन कर चुके थे, उन्हें भी नागरिकता दी गयी थी। आज भी संविधान की प्रति में यह व्यवस्था पढ़ने को मिल जाएगी।

- इसी तर्ज पर वर्तमान केन्द्र सरकार ने 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता कानून में एक संशोधन किया है। यह वही नागरिकता कानून है, जिसे डॉ. साहब ने संविधान सभा में

पेश किया था। उस दौरान सदन में जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। किसी ने विरोध नही किया। भारत की संविधान सभा, जिसमें कांग्रेस का बहुमत था, ने पाकिस्तान से धार्मिक कारणों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत का नागरिक बनाया था।

- आज की कांग्रेस को संविधान सभा की बहस को पढ़ने की खास जरूरत है। इस सभा ने नागरिकता के मसले पर बेहद गंभीरता से चिंतन किया था। लगातार तीन दिन यानि 10,11,12 अगस्त, 1949 को नागरिकता सम्बन्धी प्रत्येक पहलू पर बहस हुई थी।

- कांग्रेस के पी.एस. देशमुख ने कहा, ''मैं यह प्रावधान करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदू अथवा सिख है और किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं है, वह भारत का नागरिक होने का हकदार होगा। हमने पाकिस्तान के गठन और स्थापना को देखा है। इसकी स्थापना क्यों की गई? पाकिस्तान अलग किया गया क्योंकि मुसलमानों ने दावा किया था कि उनके पास अपना स्वयं का देश का होना चाहिए। जबकि हम जानते है कि न तो हिंदू और न ही सिखों के पास जाने के लिए दुनिया में कोई अन्य व्यापक स्थान है।'' बाद में देशमुख प्रधानमंत्री नेहरू के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने और कांग्रेस की टिकट पर अमरावती से तीन बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए।

- उनके इस प्रस्ताव का समर्थन भी कांग्रेस से अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत करने वाले शिब्बनलाल सक्सेना ने किया, उन्होंने कहा, ''हमें यह कहने में शर्म नहीं करनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो धर्म से हिंदू अथवा सिख है और किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं है, वह भारत की

नागरिकता का हकदार होगा।'' इस प्रस्ताव का सबसे व्यवस्थित स्पष्टीकरण सरदार भोपिंदर सिंह ने किया, ''हमारी मांग है कि कोई भी व्यक्ति, जो पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगों के कारण भारत में आया है, स्वत: ही भारत का नागरिक माना जाना चाहिए।''

# नागरिकता संशोधन कानून, NRC और NPR

नागरिकता (संशोधन) कानून देश में लागू हो गया है जबकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) के प्रावधाान भी तय नहीं किये गए है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा झूठ फैलाया गया कि केंद्र सरकार मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीन रही है। जबकि इस बात में कोई सत्यता नहीं है। आज कांग्रेस के नेता भूल गए है कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी, तो NPR और NRC की पहल उन्होंने की थी।

## NRC पर वर्तमान स्थिति

पूरे देश के लिए NRC के प्रावधान अभी तय नहीं हुए हैं। यह NRC लाने में अभी सरकार को लंबी दूरी तय करनी है। उसे मसौदा तैयार कर संसद के दोनों सदनों से पारित करवाना होगा। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद NRC अस्तित्व में आएगा। इसकी प्रक्रिया भी संवैधानिक और लोकतान्त्रिक होगी।

## कांग्रेस के मंत्रियों के NPR और NRC के सम्बन्ध में अधिकारिक बयान

- नेशनल आईडेन्टिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2010 पर एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी। जिसने कहा था कि NPR नागरिकता का रजिस्टर होगा, जिसके बाद भविष्य में नागरिकता को तय किया जाएगा।

- अजय माकन, गृह राज्य मंत्री ने लोक सभा में 4 मई, 2010 को बयान दिया, ''NPR का डाटाबेस तैयार और पहचान पत्र जारी होने के बाद, देश में अवैध विदेशियों और घुसपैठियों की पहचान की जाएगी।''

- गुरुदास कामत, गृह राज्य मंत्री ने लोक सभा में 1 मार्च, 2011 को बताया कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश नागरिकता के सत्यापन के लिए तत्काल कदम उठा सकते है। इसके लिए स्थानीय पुलिस की सहायता भी ली जा सकती है।

- जितेंद्र सिंह, गृह राज्य मंत्री ने लोक सभा में 28 अगस्त, 2012 को बताया कि NRIC (National Register of Indian Citizen) की दिशा में NPR पहला कदम है। (उस दौरान NRC को NRIC कहा गया था)

## यूपीए के समय NPR में दस्तावेजों का संकलन

- कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि NPR में केंद्र सरकार लोगों के दस्तावेज मांग रही है। जबकि इस व्यवस्था की शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई थी।

- आरपीएन सिंह, गृह राज्य मंत्री ने 23 अप्रैल, 2013 को लोक सभा में बताया, ''NPR में 15 प्रकार के जनसांख्यिकीय डाटा को संकलित किया जाएगा। जिसमें 1. व्यक्ति का नाम, 2. मुखिया से संबंध, 3. लिंग, 4. जन्म तिथि, 5. वैवाहिक स्थिति, 6. शैक्षिक योग्यता, 7. व्यवसाय-गतिविधि, 8. पिता का नाम, 9. माता का नाम, 10. पति/पत्नी का नाम, 11. जन्म स्थान, 12. राष्ट्रीयता, 13. निवास का वर्तमान पता, 14. वर्तमान निवास पर रहने की अवधि और 15. स्थायी आवास।

- उस दौरान लोगों के बायोमैट्रिक रिकार्ड्स भी NPR में शामिल किए जाने प्रस्तावित थे।

## राजनीति नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का सवाल-संविधान में प्रावधान

- भारतीय संविधाान के विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3(2)(C) तथा 1920 पारपत्र (पासपोर्ट) अधिनियम के अनुसार भारत सरकार किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत में रहने अथवा देश छोड़ने का आदेश दे सकती है। भारतीय संविधान के विदेशी अधिनियम 1946 धारा 3 (2)(e) के अनुसार भारत सरकार किसी भी विदेशी व्यक्ति को विशिष्ट क्षेत्र में रखने और उसके संचार पर निर्बंध लगा सकती है।

## राज्य सरकारों की शक्तियां

- यह कार्यकारी शक्तियां भारतीय संविधान के सेक्शन 258 (1) के अनुसार सभी राज्यों को प्रदत्त (Entrust) की गयी है। इस संदर्भ में अधिसूचनाएं भी जारी की जा चुकी है। इसलिए राज्य सरकार अपने अधिकारों में जरुरत पड़ने अथवा समयानुसार कार्यवाही करती है। अवैध विदेशियों को भारत से भेजने का क्रम पिछले कई दशकों से कई राज्यों में लगातार चल रहा है।

## कांग्रेस द्वारा डिटेंशन सेंटर की स्थापना

- असम में डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला 2009 में कांग्रेस सरकार ने लिया था। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। पी. चिंदबरम गृह मंत्री थे और राज्य की कमान तरूण गोगोई के हाथ में थी। उस वक्त की सरकार ने घुसपैठियों की लिस्ट को लेकर न्यायालय में भी हलफनामा दाखिल किया था। घुसपैठिए गायब न हो जाए इस वजह से इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया था।

## डिटेंशन के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश

- जिन अवैध घुसपैठियों के पास कोई भी कागजात अथवा दस्तावेज नहीं है, इस स्थिति में भारत का विदेश मंत्रालय, सम्बंधित दूतावासों से संपर्क करता है।
- यह जरुरी है कि ऐसे अवैध विदेशी व्यक्ति पूरी प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी निर्दिष्ट स्थान पर रहें। अभी तक विभिन्न राजनैतिक दलों की राज्य सरकारें ऐसी निर्दिष्ट जगह चिन्हित करती थी। यह जगह सामान्य रूप से कारागार के अंदर अलग होती थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भीम सिंह बनाम भारत सरकार केस में 28 जनवरी, 2012 को अपने आदेश में ऐसे व्यक्तियों को कारागार में नहीं रखने के निर्देश दिए। न्यायालय ने उनके लिए अलग से व्यवस्था निर्माण करके बिजली-पानी जैसी सुविधा देने को कहा था। इस प्रकार 12 सितम्बर, 2018 और 20 सितम्बर, 2018 के निर्देशों में डिटेंशन कैंप बनाने को कहा गया।
- सर्वोच्च न्यायलय के निर्देशनुसार 9 जनवरी, 2019 को सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र सरकार ने Model Detention Centre/Holding Centre/ Camp Manual 2019 भेज दिया।
- इसके पहले दिल्ली में लामपुर और शहजादा बाग में डिटेंशन सेंटर और अमृतसर सेंट्रल जेल, अलवर जेल, जयपुर जेल, भुज जेल में अलग बैरक बनाये गए है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार NRC में चिन्हित लोगों के लिए असम में निम्नलिखित अस्थायी कैम्प बनाये गए है: ग्वालपाड़ा-201 (15), कोकराझार-140 (131),

सिल्चर-71 (14), डिब्रूगढ़-40 (2), जोरहाट-196 (64), तेजपुर-322 (98)। इस प्रकार इन कैम्पों में कुल 970 लोग जिनमें 324 महिलाएं 646 पुरुष है।

- सर्वोच्च न्यायालय के 10 मई, 2019 के निर्देश में 3 साल डिटेंशन कैंप में रहने के बाद चिन्हित लोगों को कुछ शर्तों पर रिहा करने के लिए कहा गया है।

❑